भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3666

उत्तर देने की तारीख -11/08/2025

सोमवार, 20 श्रावण, 1947 (शक)

जलवायु-अनुकूल रोजगार योजना

†3666. श्री खगेन मुर्मु:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रमिकों के संक्रमण में सहायता प्रदान करने के लिए गर्मी की अधिकता, मरुस्थलीकरण अथवा फसल की विफलता का सामना कर रहे क्षेत्रों में किन्हीं कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या किसी औचित्यपूर्ण ढांचे के अंतर्गत ऐसी योजना पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) : भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के माध्यम से अत्यधिक तापमान, मरुस्थलीकरण या फसल बर्बाद होने वाले क्षेत्रों सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है । कौशल भारत मिशन (एसआईएम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कई नौकरी भूमिकाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक तापमान, फसल की बर्बादी आदि से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करती हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमण और जलवायु-अनुकूल आजीविका को सक्षम बनाना है। 30 जून 2025 तक, कृषि क्षेत्र में विभिन्न नौकरी भूमिकाओं के अंतर्गत कुल 10,87,743 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त किया जा चुका है। जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि से संबंधित नौकरी भूमिकाएँ इस प्रकार हैं:

जलवायु परिवर्तन और जोखिम शमन प्रबंधक	जैविक उत्पादक	मधुमक्खी-पालक किसान	एफपीओ के लिए कृषि वस्तुओं में मूल्य जोखिम प्रबंधन
सौर पंप तकनीशियन	वर्मीकम्पोस्ट उत्पादक	मशरूम उत्पादक	सामुदायिक सेवा प्रदाता
सूक्ष्म सिंचाई तकनीशियन	रेशम उत्पादन विशेषज्ञ	हाइड्रोपोनिक्स तकनीशियन	
प्रिसिजन कृषि तकनीशियन	औषधीय और सुगंधित पौधा उत्पादक	ग्रीन हाउस ऑपरेटर	
किसान ड्रोन ऑपरेटर	मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला विश्लेषक	समूह कृषि व्यवसायी	

एक न्यायसंगत परिवर्तन ढाँचा यह सुनिश्चित करता है कि जैसे-जैसे दुनिया स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रही है, श्रमिकों, समुदायों और उद्योगों के लिए एक निष्पक्ष और न्यायसंगत संक्रमण हो। अग्रणी उद्योगों के नेतृत्व में स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स (एससीजीजे) का गठन किया गया है, जिसका कार्य इस क्षेत्र की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करना और कौशल योग्यता मानकों का निर्धारण करना है। स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स ने ग्रीन स्किलिंग में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित 58 योग्यताएँ विकसित की हैं। ये योग्यताएँ "सोलर पीवी", ग्रीन हाइड्रोजन, एग्री पीवी, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव ऊर्जा, जीएचजी लेखांकन आदि जैसे ट्रेडों को कवर करती हैं। स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स (एससीजीजे) ने ग्रीन स्किल्स ट्रैक्स के तहत लगभग 6.63 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की सूचना दी है। ये प्रशिक्षण विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के "सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम", आदि और विभिन्न राज्य मिशनों और उद्योग समर्थित कार्यक्रमों के तहत दिए जाते हैं।

*****